

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 13 (1)WE / WSHGI/Kaleva/09-10

20394-426

जयपुर, दिनांक 6-5-10

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय—कलेवा योजनांतर्गत मोनिटरिंग एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु।

प्रसंग—विभागीय पत्रांक 5827-59 / 15.3.10 एवं 8075-107 / 5.4.10

विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा 2010-11 कलेवा योजना का सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजना के सुचारु क्रियान्वयन एवं गुणात्मक मोनिटरिंग हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है—

- जिला स्तर पर — जिला समन्वयक — उपनिदेशक, मबावि
- ब्लाक स्तर पर — नॉडल ऑफिसर — बा.वि.प.अ., मबावि संबंधित ब्लाक

उपरोक्त दोनों अधिकारी जिला/ब्लाक पर योजना के संचालन, सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणात्मक आपूर्ति, मोनिटरिंग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वयन आदि कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। समय-समय पर स्वयं, SHG द्वारा आपूर्ति किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच स्वयं देखकर, चखकर स्वविवेक से करेंगे एवं प्रासंगिक दिशा-निर्देशों की भी यथावत पालना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त एवं शासन सचिव
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 13 (1)WE / WSHGI/Kaleva/09-10
प्रतिलिपि—

20427

जयपुर, दिनांक 6-5-10

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
- 2 प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.

कार्यकारी निदेशक, WSHGI एवं पदेन अति.
निदेशक (स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम)
मबावि, राज., जयपुर